रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 25, 1984 (फाल्गुन 6, 1905)

No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 25, 1984 (PHLAGUNA 6, 1905)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	271
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	239
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पो और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	355
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमो का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयो (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयो (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	4199
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	101
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तो के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाए	—
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1161
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	35
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई ।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	271
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	239
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	355
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	4199
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	101
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1161
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	35
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi .	*

*folios not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी 1984

सं० 12-प्रेज/84:—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री विजय रमन,
पुलिस अधीक्षक,
भिण्ड (मध्य प्रदेश) ।

श्री मोहम्मद कासिम,
कांस्टेबल नं० 766,
26वीं बटालियन,
"सी" कम्पनी,
एस० ए० एफ०,
गुना ।

श्री बाबूराम,
कांस्टेबल सं० 686,
26वी बटालियन,
"सी" कम्पनी, एस० ए० एफ०,
गुना ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

1 अक्तूबर, 1981, को लगभग 14.00 बजे कुख्यात डाकू पान सिंह और उसके गिरोह के चौदह निर्भीक व्यक्तियों की उपस्थिति के बारे में सूचना प्राप्त होने पर श्री विजय रमन, पुलिस अधीक्षक, भिण्ड ने अपने तात्कालिक लेफ्टिनेन्ट के साथ एक योजना तैयार की और गांव रथियां-का-पुरा को घेर लिया। उन्होंने गांव को घेरने का कार्य डी० ई० एफ० और एस० ए० एफ० के उपलब्ध व्यक्तियों की सहायता से पूरा किया। कांस्टेबल मोहम्मद कासिम श्री बी० एल० हांडा, अपर पुलिस अधीक्षक, भिण्ड, जिनको उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर से गांव को घेरने का कार्य सौंपा गया था, के नेतृत्व वाले पुलिस दल के सदस्य थे। दल शीघ्रता से गांव के अन्दर गया। दो कांस्टेबलों मोहम्मद कासिम और बाबू राम ने गिरोह के उद्देश्यों को विफल करने के लिए छतों पर मोर्चा संभाला। जैसे ही दल गांव में आगे बढ़ रहा था उसको एक गांव वाले को पकड़ने का अवसर मिल गया जिसने गिरोह के उस स्थान से थोड़ी दूरी पर होने की पुष्टि की जहां उस समय पुलिस दल उपस्थित था। जब पुलिस दल अगली कार्यवाही करने जा रहा था तो गांव से गोलियों की अचानक बौछार होने लगी। डाकुओं के अचानक हमले को रोकने के लिए पुलिस दल ने भी गोली चलाई ।

2. बन्दूक की गोलियों की आवाज सुनकर अपर पुलिस अधीक्षक भिण्ड जो उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र का प्रभारी थे, ने अपने व्यक्तियों को सचेत किया। श्री रमन और उनका दल दोनों ओर से चल रही गोलियों के बीच फंस गया। डाकू पुलिस का घेरा तोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। श्री रमन और उनके व्यक्ति आसन्न खतरे का सामना करते हुए वीरता से अपने कार्यों में जुट गए और डाकुओं के गांव से बाहर निकलने के रास्ते को बन्द करने में सफल हुए ।

3. 2 अक्तूबर, 1981, को लगभग 0300 बजे कांस्टेबल मोहम्मद कासिम को घेरे में लगाए हुए अपने मोर्चे के अत्यन्त निकट कुछ सन्देहास्पद गतिविधि का पता लगा। वे सावधान हो गए और छिपे हुए व्यक्तियों का अपना परिचय देने की चेतावनी दी। फिर लाइट करने वाली पिस्तौल चला कर रोशनी की गई। प्रकाश में 4-5 व्यक्तियों को देखा गया जो पुलिस के घेरे की ओर बढ़ रहे थे ताकि घेरे में से बचकर निकल सकें। इस समय श्री कासिम ने अपना मोर्चा बदला ताकि लक्ष्य अधिक स्पष्ट दिख सके और कारगर ढंग से गोली चलाई जा सके। उनकी कार्रवाई को डाकुओं ने देख लिया। शीघ्रता से और गोलिया चलाई गई। एक गोली श्री कासिम की कमर से थोड़ी सी ऊंचाई पर लगी। यद्यपि उनके घाव से लगातार खून बह रहा था तो भी श्री कासिम विचलित नही हुए गिरोह पर लगातार गोली चलाते रहे। वे अपने कर्तव्य के प्रति इतने निष्ठावान थे कि उन्होने डाक्टरी सहायता के लिए जाने से इंकार कर दिया और उनको इसके लिए बल पूर्वक ले जाया गया ।

4. कास्टेबल बाबू राम उस पुलिस दल के बहादुर सदस्यों में से एक थे जिन्होंने इस मुठभेड़ ने में भाग लिया। उन्हें गांव के उत्तरी घेरे पर तैनात किया गया था। गोलियां कान्स्टेबल बाबू राम के पास से सनसनाती हुई निकली। अपने जीवन के नजदीकी खतरे की परवाह न करते हुए वे अंत तक अपनी बन्दूक को सम्भाले रहे। उनकी ओर लगातार गोलियां चलायी जा रही थी जो आंतकित करने वाली थी। इस प्रकार की एक गोली उनके सिर के ऊपर से गुजरी जो उनकी टोपी को भी उड़ा ले गई जिससे उनका सिर रगड़ से जख्मी हो गया। वे डाकुओं पर बहादुरी और सहासपूर्वक गोलियां चलाते रहे। रात भर की भीषण मुठभेड़ मे 10 कुख्यात डाकू मारे गए। इनमें गिरोह के दो नेता पान सिह और गोपी सम्मिलित थे।

इस मुठभेड़ में श्री विजय रमन, पुलिस अधीक्षक, श्री मोहम्मद कासिम कान्स्टेबल और श्री बाबूराम कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 अक्तूबर, 1981, से दिया जाएगा ।

सं० 13-प्रेज/84:—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री ब्रिजलाल हान्डा,
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भिण्ड ।

श्री यशवन्त सिंह घुरइया,
पुलिस उप अधीक्षक,
भिण्ड ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह चौहान,
सर्किल इन्सपेक्टर,
गोहाद,
जिला भिण्ड ।

श्री जमन सिंह,
हेड़ कास्टेबल न० 42,
एस० ए० एफ०,
ग्वालियर ।

श्री जगतपाल सिंह कुशवाह,
कास्टेबल न० 95,
भिण्ड ।

श्री अशरफी लाल,
कास्टेबल नं० 461,
एस० ए० एफ०,
गुना ।

श्री त्रिभुवन सिह,
कास्टेबल नं० 756,
एस० ए० एफ,
भिण्ड ।

सेवाओ का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

1/2 अक्तूबर, 1981, को गाव रथियान का पुरा मे पान सिह गिरोह के साथ एक मुठभेड हुई ।

श्री ब्रिजलाल हान्डा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गाव के उत्तरी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रो का घेरा डालने के लिए तैनात किये गये बल के प्रभारी थे। घेरे की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योकि इससे डाकुओ के बचने का सम्भावित रास्ता बन्द होता था। एक छोटा पुलिस दल गाव मे प्रवेश कर चुका था और पुलिस दल तथा डाकुओ के बीच गोलिया चलना शुरु हो चुकी थी। यह जनकर कि गाव के अन्दर उनके दल के गोलीबारी करने से पुलिस दल के जवानो की जान को खतरा हो सकता है और उनके साथ उनके दल की गोलीबारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है, उन्होने जवानो को पुन तैनात किया। 2 अक्तूबर, 1981, को रात्रि के 3 बजे इस घेरे मे तैनात व्यक्तियो ने कुछ गतिविधियो को देखा और उन्हे सन्देह हुआ कि कुछ अस्पष्ट आकृतिया रेगते हुए पुलिस दल की ओर आ रही है। प्रकाश करने वाली पिस्तौल से गोली चलाने से उनके सदेह की पुष्टि हो गई। श्री हान्डा ने समय की जरूरत के अनुसार कार्रवाई की ओर साहस तथा दृढ़ निश्चय के साथ जवाबी आक्रमण किया। उन्होने इस मुठभेड मे दृढ़ नेतृत्व और साहस का परिचय दिया।

कार्रवाई की योजना के अनुसार गाव रथियान का पुरा के चारो ओर अपने आदमी तैनात करने के बाद श्री यशवन्त सिह घुरइया, पुलिस उप अधीक्षक, आगे की जाने वाली कार्रवाई, के बारे मे परामर्श करने के लिए उस स्थान पर पहुचे जहा उनके पुलिस अधीक्षक ने मोर्चा सभाल रखा था। यह तय किया गया कि डाकुओ की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गाव की तलाशी ली जाय। 13 व्यक्तियो के एक दल ने जिनमे पुलिस अधीक्षक, भिन्ड और श्री घुरइया शामिल थे इस खतरनाक कार्य के लिए तुरन्त अपनी इच्छा व्यक्त की। अधिकारियो और जवानो ने शीघ्रता से दूरी तय की और गाव मे घुस गये। प्रभावशाली सामरिक लाभ का मोर्चा लगाने के लिए दो कास्टेबलो का सीमेट की बनी इमारतो की छतो पर तैनात किया गया। श्री घुरइया ने इस बात की पुष्टि की कि गिरोह गाव मे है। पुलिस दल सरक कर धीरे-धीरे गाव मे घुस गया। उन्होने एक व्यक्ति को पकडा जिसने सूचना दी कि गाव मे 14 डाकू है जिनमे डाकुओ का नेता पान सिह शामिल है और यह भी बताया कि गिरोह पुलिस दल के बहुत नजदीक है जहा उन्होने मोर्चा सम्भाल रखा है। श्री घुरइया ने पर्याप्त और समुचित रूप से चुनौती का अनुमान लगा लिया। डाकुओ ने अचानक पुलिस दल पर गोली चला दी। पुलिस और डाकुओ के बीच भारी गोलीबारी हुई। श्री घुरइया गंभीर खतरा होने के बावजूद अपने मोर्चे पर चट्टान की तरह डटे रहे और उन्होने डाकुओ के आक्रमण का समुचित रूप से उत्तर दिया। उन्होने न केवल पूरी रात सतर्कता बरती बल्कि डाकुओ की हर गोली का उत्तर दिया। छतो पर तैनात दो कास्टेबलो ने गिरोह की योजनाओ को विफल कर दिया और वे डाकुओ तथा उनके बचकर भाग निकलने के रास्ते के बीच एक अलंघ्य दीवार की तरह खड़े रहे। श्री घुरइया ने एक और साहसी कार्य का परिचय दिया जब दिन मे लडते हुए डाकुओ को निकालने के लिए उनके उप महा निरीक्षक द्वारा प्रत्येक मकान की तलाशी लेने का प्रबन्ध किया गया था।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह चौहान, सर्किल इन्सपेक्टर, श्री जमन सिंह, हेड कान्सटेबल, श्री जगतपाल सिंह कुशवाह, श्री अशरफी लाल और श्री त्रिभुवन सिंह, कास्टेबलो ने डाकुओ को रोके रखने मे दृढ़ निश्चय का परिचय दिया और डाकुओ के साथ रात भर की मुठभेड मे उनकी निरन्तर निगरानी तथा कार्रवाई से गिरोह के दस सदस्यो का सफाया किया जा सका।

इस मुठभेड मे श्री ब्रिजलाल हान्डा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री यशवत सिंह घुरइया, पुलिस उप-अधीक्षक, श्री महेन्द्र प्रताप सिंह चौहान, सर्किल इन्सपेक्टर, श्री जमन सिह, हेड कास्टेबल, श्री जगतपाल सिह कुशवाह, श्री अशरफी लाल और श्री त्रिभुवन, सिंह कास्टेबलो ने उत्कृष्ट वीरता, साहस, और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2 ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 2 अक्तूबर , 1981, से दिया जाएगा।

स० 14-प्रेज/84—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नाकित अधिकारियो को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं —

अधिकारियो के नाम तथा पद

श्री खुशाली राम,
उप-निरीक्षक,
63—बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री बी० डी० यादव,
कास्टेबल,
63 बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओ का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

7 अप्रैल, 1983 को उप-निरीक्षक खुशाली राम अपनी पलाटून के साथ गश्ती ड्यूटी से लगभग 16 30 बजे लौटे ही थे कि एक सिविल ट्रक ड्राइवर के माध्यम से चौकी को करमछेरा मार्किट मे गोली चलने और आक्रमण करने के बारे मे सूचना मिली । कम्पनी कमाण्डर मलागर सिह (पुलिस उप-अधीक्षक) के आदेश पर श्री खुशाली राम अपनी पलाटून के साथ तुरन्त घटनास्थल पर पहुचे। श्री मलागर सिह, पुलिस उप-अधीक्षक, ने उग्रवादियो के बारे मे सूचना एकत्र करने के बाद अपने जवानो को दो दलो मे विभाजित किया। एक दल का नेतृत्व स्वय उन्होन किया और दूसरे का उप-निरीक्षक खुशाली राम ने। कास्टेबल बी० डी० रादव उस दल मे थे जिसका नेतृत्व उप निरीक्षक खशाली राम कर रहे थ । दोनो दलो ने बचकर निकलने के सदिग्ध मार्गो की छान-बीन शुरु की।

उप-निरीक्षक खुशाली राम के नेतृत्व वाले देल ने करमछेरा की ओर से चार युवको को आते देखा। उनके पास थैले थे, जो उनके कधो पर लटके हुए थे। दल को सदेह हुआ और एक युवक से पूछताछ की गई, जिसने बताया कि वे ग्रेफ के श्रमिक है। उप-निरीक्षक खुशाली राम को इस उत्तर स सतोष नही हुआ और उन्होने युवक के कधे पर लटके थैले की

तलाशी लेने का निश्चय किया । युवक ने तुरन्त अपना दायां हाथ थैले में डाला । उप-निरीक्षक खुशाली राम ने खतरे का तुरन्त आभास करते हुए थैले से युवक के रिवाल्वर बाहर निकालने से पहले उसका दायां हाथ पकड़ लिया। युवक ने मुकाबला किया परन्तु उप-निरीक्ष खुशाली राम ने उसे नही छोड़ा । शिनाख्त होने पर वह चुनी कोलई पाया गया । उप-निरीक्षक ने अपने जीवन के गंभीर खतरे पर चुनी कोलई को वश में कर लिया ।

कांस्टेबल बी० डी० यादव को और तलाशी लेने पर कोनाक तारेक मोलई के थैले में एक महत्वपूर्ण हथगोला मिला और उन्होंने उग्रवादी युवक से उसे छीन लिया । इस प्रकार उन्होंने प्रख्यात टी० एन० वी० उग्रवादी नेता कोनाक तारेक कोलई को निहत्था करने और उसे पकड़ने में गभीर खतरा मोल लिया ।

उप निरीक्षक खुशाली राम और कांस्टेबल बी० डी० यादव ने उग्रवादियों को काबू करने और पकड़ने में उत्कृष्ट वीरता तथा अनुकरणीय साहस का परिचय दिया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 अप्रैल, 1983 से दिया जाएगा ।

सं० 15-प्रेज०/84—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राम प्रसाद उपाध्याय,
पुलिस उप निरीक्षक सी० आई० डी०,
बिहार, पटना ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

10/11 जुलाई, 1980, की रात को श्री राम प्रसाद उपाध्याय, श्री एम० सी० खुर्शीद के साथ बस से सी० आई० डी० मुख्यालय, पटना को आ रहे थे । जब बस, 3.00 बजे के लगभग, बिहार शरीफ के काजी-मोहल्ले में पहुंची तो लगभग 8–10 सशस्त्र डाकुओं के एक गिरोह ने सड़क में बाधा डालकर बस को रोक लिया बस का अपहरण करके कच्ची सड़क पर ले गए और यात्रियों को लूटना आरम्भ किया । श्री उपाध्याय सादे वस्त्रों में थे और अपने सर्विस रिवाल्वर को अपने वस्त्रों में छुपा रखा था । यात्रियों के जीवन को खतरे में देखते हुए श्री उपाध्याय ने अपने पास जो धन था उसे सुपुर्द करने के बहाने डकैतों को बस से बाहर ले जाने का निश्चय किया । एक डकैत बाहर आ गया । डकैतों का दूसरा साथी जो बस के बाहर प्रतीक्षा कर रहा था, ने श्री उपाध्याय के दाएं पांव के घुटने के ठीक नीचे जोर से मुक्का मारा । श्री उपाध्याय ने तत्काल अपने रिवाल्वर से गोली चला दी । एक डकैत को गोली लगी जो घटनास्थल पर ही मारा गया । डकैतों ने भी गोली चलायी और बम विस्फोट किए जिसके परिणाम-स्वरूप बस मे खड़ा खलासी जख्मी हो गया और बाद में उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई । श्री उपाध्याय ने कुल मिलाकर 5 बार गोलियां चलाई, जिससे डाकुओं को वापस जाना पड़ा । पुलिस एक देशी रिवाल्वर और लूटी गयी कुछ सम्पत्ति बरामद करने में सफल हुई ।

कुख्यात डाकुओं के गिरोह के साथ इस मुठभेड़ में, उप-निरीक्षक राम प्रसाद उपाध्याय ने उत्कृष्ट वीरता और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता दिनांक 11 जुलाई, 1980 से दिया जाएगा।

सं० 16-प्रेज/84—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री चन्द्र बदन मल,
उप-निरीक्षक पुलिस,
मनियार, जिला बलिया ।

श्री मंगला प्रसाद कुशवाह,
हैड-कान्स्टेबल, 23, ए० पी०,
जिला बलिया ।

श्री रवि शंकर मिश्र,
कान्स्टेबल 494,
जिला बलिया ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

27/28 दिसम्बर, 1981 की रात्रि को श्री चन्द्र बदन मल, पुलिस उप-निरीक्षक, मनियार, जिला बलिया को कुख्यात डाकू उत्तिल के साथ बलराम पाण्डे के गिरोह के बारे में सूचना मिली जिनकी बिहार के गांव विष्णुपुरा जाने की योजना थी, जहां फुलेना दूबे द्वारा उसे गांव धोराहरा के सरपंच के मकान में डाका डालने के लिए बुलाया गया था । श्री मल ने उपलब्ध पुलिस बल इकट्ठा किया और उस स्थान पर पहुंचे लेकिन डाकू बिहार की ओर चले गए थे । समस्त पुलिस बल जिसमे श्री मंगला प्रसाद कुशवाहा, हैड-कांस्टेबल और रवि शंकर मिश्र, कांस्टेबल शामिल थे, गांव विष्णुपुरा पहुंचा । यह मालूम होने पर कि डाकू फूलेना दूबे के मेरहा में जमा हैं श्री मल ने एक योजना बनाई और पुलिस बल को दो दलों में विभाजित किया । उनके नेतृत्व मे पहले दल ने श्री दूबे के पक्के मकान के पीछे मोर्चा संभाला और श्री मंगला प्रसाद कुशवाह, हैड-कांस्टेबल के नेतृत्व में दूसरे दल ने मेरहा के खुले रास्ते के सामने भूसे के ढेर के पीछे मोर्चा सम्भाला । श्री मल द्वारा ललकारे जाने पर डाकुओं ने पुलिस दल पर गोलियां चला दी और मेरहा की दूसरी ओर भाग गए । श्री कुशवाह ने अपने दल और श्री मल के साथ भागते हुए डाकुओं का पीछा किया जो रूक-रूक पर पुलिस पर गोलियां चला रहे थे ।

2. श्री कुशवाह और श्री रविशंकर मिश्र, कान्स्टेबल गोलियों से गंभीर रूप से घायल हो गए और गिर पड़े । परन्तु वे डाकुओ पर गोलियां चलाते रहे । श्री मल अपनी रिवाल्वर से गोलियां चलाते हुए पूरे समय निर्भीकता से पीछा करते रहे । भारी गोली बारी के दौरान एक डाकू जख्मी हो गया लेकिन भागते हुए डाकू उसे उठाकर ले गए । जख्मी हैड-कांस्टेबल और कांस्टेबल, जो आगे नहीं चल सकते थे, को छोड़कर श्री मल ने डाकुओं का फिर पीछा किया और भागते हुए डाकुओं में से एक को गोली मारी जो घटनास्थल पर गिर कर मर गया । अन्य डाकू बचकर भाग गए और उनका पता नहीं लग सका । घायल हैड-कांस्टेबल मंगला प्रसाद कुशवाह और कांस्टेबल रवि शंकर को उपचार के लिए मैडिलकल कालेज, गोरखपुर ले जाया गया । श्री कुशवाह का दायां पैर काटना पड़ा । मारे गए डाकू के शव से बाद में पता चल कि वह बलिराम गिरोह का एक कुख्यात डाकू उत्तिल गौड है ।

इस मुठभेड़ मे उप-निरीक्षक चन्द्र बदन मल, हैड कांस्टेबल, मंगला प्रसाद कुशवाह और कांस्टेबल रवि शंकर मिश्र ने गम्भीर व्यक्तिगत खतरे के बावजूद उत्कृष्ट वीरता, साहस, सूझ-बूझ, और कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहा हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 28 दिसम्बर 1981 से दिया जाएगा।

सं० 17-प्रेज/84—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

कुमारी आशा गोपाल,
पुलिस अधीक्षक,
जिला शिवपुरी (मध्य प्रदेश)

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

7 जनवरी, 1982 की शाम को कुमारी आशा गोपाल, पुलिस, अधीक्षक, शिवपुरी को गांव राजपुर थाना जिगना के निकट एक गन्ने के खेत में देवी सिंह के नेतृत्व में डाकुओं के कुख्यात अन्तर्राज्यीय गिरोह की उपस्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हुई। वे 110 अधिकारियों और डी० ई० एफ०, एस० ए० एफ० से लिये गये जवानों और सीमा सुरक्षा बल की एक टुकड़ी के साथ मौके पर पहुंचने के लिये रवाना हुई। उस स्थान पर पहुंचकर उन्होंने थोड़े से अधिकारियों के साथ सूचना देने वाले व्यक्ति से सम्पर्क किया, कार्यवाही की योजना बनाई और डाकुओं के बचकर निकलने के सम्भावित मार्गों पर स्वयं मोर्चा लगाया। दिन निकलने के थोड़ी देर पहले गन्ने के खेत में कुछ हल चल नजर आई जिससे डाकुओं की उपस्थिति की पुष्टि हो गई। उन्होंने डाकुओं को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी देने से पहले गन्ने के खेत के किनारे पर बनी एक झोंपड़ी से एक वृद्ध और उसकी पुत्री को बहार निकाला। तत्पश्चात दो डाकु देवी सिंह और अतर सिंह को खेत से बाहर भागते और पुलिस का घेरा तोड़ने के प्रयास में पुलिस दल पर उग्रता से गोलीबारी करते हुए देखा गया। कुमारी आशा गोपाल ने जवाब में गोली चलाई और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाहन न करते हुए एक छोटे से पुलिस दल के साथ डाकुओं का पीछा किया। गोलीबारी में दो डाकू मारे गए।

2. खेत में बचे शेष डाकू पुलिस पर रुक-रुक कर गोली चलाते रहे। गोलीबारी में 3 और डाकू मारे गए। इस अवधि के दौरान उनमें से एक डाकू ने अपहृत व्यक्ति को गोली मार दी जो उनके शिकंजे से बच कर निकलने की कोशिश कर रहा था। अन्त में यह महसूस करते हुए कि वे चारों ओर से घेर लिए गए हैं और जीवित रहने का अवसर बहुत कम है, उनमें से दो नामतः जगभान और रहीश खेत से भाग निकले। ये अपनी बन्दूकों से गोली चला रहे थे ताकि पुलिस कर्मचारी आड़ लेने के लिए मजबर हो जाएं। उन पर पुलिस कर्मचारियों ने आत्म रक्षा में गोली चलाई जिसके कारण उनका सफाया हो गया। डाकू छिंगा जो अब भी खेत में था और गोली चला रहा था को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। लगभग 11-30 बजे 2 इंच मोर्टार गोले खेत में छोड़े गए। कुमारी आशा गोपाल ने खेत की तलाशी लेने का निर्णय किया और इस प्रयोजन के लिये दो दलों को प्रतिनियुत किया जिनमें से एक दल का नेतृत्व उन्होंने स्वयं किया। दोपहर के पश्चात खोज करने वाले दो दलों में से एक के साथ डाकू छिंगा की गोलीबारी हुई जिसको अंत में गोली मार दी गई। इस भीषण गोलीबारी में डाकू देवी सिह के सारे गिरोह को समाप्त कर दिया गया। किन्तू पुलिस की ओर से कोई भी हताहत नहीं हुआ।

3. डाकुओं के साथ इस मुठभेड़ में कुमारी आशा गोपाल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और अनुकरणीय नेतृत्व का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 7 जनवरी, 1982 से दिया जाएगा।

सं० 18-प्रेज/84।—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री राम सुन्दर शर्मा,
पुलिस उप अधीक्षक,
शिवपुरी,

श्री महेन्द्र पाल सिंह,
मण्डल निरीक्षक,
करेरा,
शिवपुरी।

श्री भगत सिंह सिसोदिया,
पुलिस उप-निरीक्षक,
शिवपुरी।

श्री गुरु दयाल शर्मा,
पुलिस उप-निरीक्षक,
शिवपुरी।

श्री अशोक कुमार सिंह,
हैड-कांस्टेबल संख्या 147,
शिवपुरी।

श्री शंकर भाई मन्ना भाई गर्वाल,
कांस्टेबल,
83वीं बटालियन,
बी०एस०एफ०,
टेकनपुर,
ग्वालियर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

7 जनवरी, 1982, को शाम को जिला शिवपुरी में थाना जिगना के अंतर्गत गांव राजपुर के एक गन्ने के खेत में डाकू देवी सिंह के नेतृत्व में डाकुओं के कुख्यात अन्तर्राज्यीय गिरोह की उपस्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हुई। यह सूचना शिवपुरी के पुलिस अधीक्षक को दी गई जो 110 अधिकारियों और जवानों जिनको डी०ई०एफ०, एस०ए०एफ० और बी०एस०एफ० से लिया गया था के एक बल के साथ मौके पर पहुंचने के लिए रवाना हुए। इस बल को खेत को घेरने के लिए चार दलों में विभाजित किया गया।

2. जब मुखबिर सूचना की पुष्टि के लिए निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचा तो पुलिस उप-अधीक्षक राम सुन्दर शर्मा, और उप-निरीक्षक गुरु-दयाल शर्मा ने कम्बल ओढ कर गांव के अंदर जाने के लिए अपनी सेवा अर्पित की। किन्तु वे गिरोह तक पहुंचने में थोड़ा सा चूक गए। जब घेरा डाला गया तो श्री आर०एस० शर्मा ने दल संख्या 4 का नेतृत्व किया जिसकी मण्डल निरीक्षक, करेरा, महेन्द्र पाल सिंह ने गन्ने के खेत जिसमें डाकू छिपे हुए थे से 100 गज की दूरी पर रह कर सहायता की। ऊषाकाल के समय दल संख्या 3 से अपने पुलिस अधीक्षक की चिल्लाहट सुन कर और गिरोह के नेता देवी सिह तथा अतर सिंह को पुलिस का घेरा तोड़ते हुए देख कर श्री आर०एस० शर्मा करेरा के मण्डल निरीक्षक और जिगना तथा करेरा के थाना अधिकारियों और जवानों के साथ तुरन्त अपने मोर्चे से बाहर निकले तथा डाकू देवी सिंह का पीछा किया। आपसी गोलीबारी में डाकू देवी सिंह पुलिस की गोली से मारा गया किन्तु उसका साथी अतर सिंह भाग निकलने में सफल हो गया। डाकू अतर सिंह के पास 12 बोर की बन्दूक थी जिससे वह पुलिस दल पर प्रत्यक्ष रुप से गोलियां चला रहा था। डाकू पर दबाव बनाए रखने के लिए श्री आर०एस० शर्मा ने अपने जवानों पर जोर दिया। उन्होंने भी उन अधिकारियों, जो उत्तर और पश्चिम की ओर कार्रवाई करने के लिए भाग रहे थे, को गोली चला कर आड़ दी। उप-निरीक्षक गुरुदयाल शर्मा, मण्डल निरीक्षक एम०पी० सिंह पुलिस उप-अधीक्षक आर०एस० शर्मा और कुछ जवानों के साथ पुलिस अधीक्षक ने डाकू अतर सिंह का पीछा करना शुरु किया और अंत में उसको गोली से उड़ा दिया। अन्य दो डाकू जगभान और रहीश भी लोगों द्वारा गोली से उड़ा दिये गये जब वे खेत से भाग जाने की कोशिश कर रहे थे।

अन्त में केवल एक डाकू छिंगा खेत के अन्दर रह गया। उसको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया किन्तु उसने ऐसा नहीं किया। 2" मोर्टार के कुछ गोले चलाने के बाद गन्ने के खेत की छानबीन की

गई। पुलिस उप-अधीक्षक आर० एस० शर्मा पुलिस अधीक्षक और उप-निरीक्षक सिसोदिया के साथ उत्तर की ओर से खेत में घुसे करेरा के मण्डल निरीक्षक एम०पी० सिंह और उप निरीक्षक गुरुदयाल शर्मा अपने जवानों का नेतृत्व करते हुए पूर्व की ओर से गन्ने के खेत में घुसे। तब तक डाकू उत्तर की ओर से आने वाले दल के सम्पर्क में आ चुका था। डाकू छिगा ने पूर्व की ओर से आते हुए पुलिस दल को देखा। गन्ने की ऊंची फसल के पीछे छिपते हुए उसने पुलिस दल पर कई गोलियां चलाई। पुलिस दल ने जबाबी गोलीबारी की और वह डाकू को खेत के अंदर मार डालने में सफल हुआ।

डाकुओ के कुख्यात गिरोह के साथ इस मुठभेड में पुलिस उप अधीक्षक आर०एस० शर्मा, मण्डल निरीक्षक एम०पी० सिंह, उप-निरीक्षक बी०एस० सिसोदिया उप-निरीक्षक गुरुदयाल शर्मा, हैड-कांस्टेबल अशोक कुमार सिंह और कांस्टेबल शकर भाई मन्ना भाई गर्वाल ने उत्कृष्ट वीरता और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 जनवरी, 1982 से दिया जाएगा।

दिनांक 13 फरवरी 1984

सं. 19-प्रेज/84—राष्ट्रपति यह निदेश देते है कि 1 मार्च, 1951, की अधिसूचना सं. 4-प्रेज/51 के अधीन 10 मार्च, 1951, को भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1, में प्रकाशित तथा समय-समय पर संशोधित राष्ट्रपति के पुलिस पदक तथा पुलिस पदक को नियंत्रित करनो वाले नियमों में निम्नलिखित संशोधन किया जाए :—

पुलिस पदक

नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"किसी भी एक वर्ष में सराहनीय सेवा के लिए दिए जाने वाले पदकों की संख्या (बारों के अतिरिक्त) 500 से अधिक नहीं होगी। किसी भी वर्ग में शौर्य के लिए दिये जाने वाले पदकों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी।"

सु. नीलकण्ठन
राष्ट्रपति का उप सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 1984

संकल्प

सं. 82/1/4 /83-मंत्रि.—कृषि उत्पादन को बढ़ाने, रोजगार पैदा करने, गरीबी दूर करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सर्वांङ्गीण सुधार लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को सर्वोच्च अग्रता प्रदान की है। यह एक राष्ट्रव्यापी प्रयास है और सरकार चाहती है कि लोग तथा निगमित और गैर-निगमित निकाय इस कार्य में उत्साह पूर्वक भाग लें। कम्पनियों और सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 सीसी में यह उपबन्ध पहले ही किया गया था कि कर योग्य लाभों की गणना उनके द्वारा ग्रामीण विकास के स्वीकृत कार्यक्रमों पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय को घटाकर की जाएगी। वित्त अधिनियम, 1983 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की 35 सीसीए और 80 जीजीए की धाराओं में किए गए संशोधनों द्वारा कर योग्य आय की गणना केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित ग्रामीण विकास निधि में करदाताओं की सभी श्रेणियों द्वारा किए गए अंशदान या दान को घटाकर की जाएगी। तदनुसार एक "राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि" स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

2. निधि का प्रबन्ध निम्नलिखित से युक्त एक समिति द्वारा किया जाएगा :—

1.	प्रधान मंत्री	....अध्यक्ष
2.	वित्त मंत्री	....सदस्य
3.	योजना मंत्री	....सदस्य
4.	ग्रामीण विकास मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री	....सदस्य
5.	प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव	....सचिव

प्रबन्ध समिति अन्य केन्द्रीय मंत्रियों या अन्य व्यक्तियों को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगी।

3. समिति अपना कार्य चलाने और उसके विनियमत के लिए अपनी नियमावली स्वयं निर्धारित करेगी और निधि के प्रशासन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करेगी।

4. निधि को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 सीसीए की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

5. निधि की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा की जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि जन साधारण की सूचना के लिए इस संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

प्रेम कुमार
अपर सचिव, मंत्रिमंडल

योजना मंत्रालय

सांख्यिकीय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 1984

सं० एम०-12011/5/83-एम० आर० डी०—इस कवभों कदनों 27 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना सं० एच०-11013/5/74 जे० सी० एम०/समन्वय के क्रम रोजगार और बेरोजगारी सांख्यिकी संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति के संविधान को आशोधित करते हुए, विद्यमान दस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्तियों को तत्कालिक आधार पर समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है :—

1. प्रो० प्रवीण विसारिया, निदेशक,
   गुजरात क्षेत्र योजना संस्थान,
   नया ब्रह्म क्षेत्रिय सोसायटी,
   प्रीतम राय मार्ग,
   अहमदाबाद-380006।
2. डा० जे० कृष्णामूर्ति,
   दिल्ली स्कूल आफ इकानामिक्स,
   दिल्ली विश्वविद्यालय,
   दिल्ली-110007।

समिति के उपर्युक्त गैर सरकारी सदस्य समति की बैठक में शामिल होने के लिए संगत नियमों और आदेशों के अनुसार सांख्यिकी विभाग द्वारा यात्रा भत्ता/मंगाई भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

मुकुल राय, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी, 1984

सार्वजनिक सूचना

सं० प्रति अदायगी/सं० सू० 8/84:—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रति अदायगी सा० सू० 17/83, दिनांक 1 जून, 1983 में प्रकाशित सारणी में अतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 4608 और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर	विनिधान	
			सी० शु०	के० उ० शु०
1	2	3	4	5
4608	शक्ति और वितरण ट्रांसफार्मर (ताम्बा लिपटे हुए)			
	(क) 33 के० वी० तक			
	(1) 25 के० वी० तक जिसमें 25 के० वी० अ० भी शामिल है।	57.70 रुपये (केवल सत्तावन रुपये सत्तर पैसे) प्रति के० वी० ए०	60%	40%
	(2) 25 के० वी० ए० से अधिक तथा 63 के० वी० ए० तक, जिसमें 63 के० वी० ए०, भी शामिल है।	41.20 रुपये (केवल इकतालीस रुपये बीस पैसे) प्रति के० वी० ए०	60%	40%
	(3) 63 के० वी० ए० से अधिक तथा 100 के० वी० ए० तक जिसमें 100 के० वी० ए० भी शामिल है।	37.80 रुपये (केवल सैंतीस रुपये अस्सी पैसे) प्रति के० वी० ए०	60%	40%
	(4) 100 के० वी० ए० से अधिक तथा 200 के० वी० ए० तक जिसमें 200 के० वी० ए० भी शामिल है।	30.20 रुपये (केवल तीस रुपये बीस पैसे) प्रति के० वी० ए०	60%	60%
	(5) 200 के० वी० ए० से अधिक तथा 315 के० वी० ए० तक जिसमें 315 के० वी० ए० भी शामिल है।	26.65 (केवल छब्बीस रुपये पैंसठ पैसे) प्रति के० वी० ए०	60%	40%
	(6) 315 के० वी० ए० से अधिक तथा 630 के० वी० ए० तक जिसमें 630 के० वी० ए० भी शामिल है।	22.65 (रुपये (केवल बाईस रुपये पैंसठ पैसे) प्रति के० वी० ए०	60%	40%
	(7) 630 के० वी० ए० से अधिक और 1000 के० वी० ए० तक जिसमें 1000 के० भी० ए० भी शामिल है।	20.40 रुपये (केवल बीस रुपये चालीस पैसे) प्रति के० वी० ए०	60%	40%
	(8) 1000 के० वी. ए० से अधिक	18.40 रुपये (केवल अठारह रुपये चालीस पसे) प्रति के० वी० ए०	60%	40%

1	2	3	4	5
(ख)	33 के० वी० और उससे अधिक परन्तु 66 के० वी० से कम			
	(1) 315 के० वी० ए० तक, जिसमें 315 के० वी० ए० भी शामिल है।	31.05 रुपये (केवल इकतीस रुपये पांच पैसे) प्रति के० वी० ए०	60%	40%
	(2) 315 के० वी० ए० से अधिक दथा 630 के० वीसें ए० तक जिस० 630 के० वी० ए० भी शामिल है।	25.65 रुपये (केवल पच्चीस रुपये पेंसठ पैसे) प्रति के० वी० ए०	60%	50%
	(3) 630 के० वी० ए० से अधिक तथा 1000 के० वी० ए० तक जिसमें 1000 के० वी० ए० भी शामिल है।	22.25 रुपये (केवल बाईस रुपये पच्चीस पैसे) प्रति के० वी० ए०	40%	40%
	(4) 1000 के० वी० ए० से अधिक तथा 1600 के० वी० ए० तक जिसमें 1600 के० वी० ए० भी शामिल है।	19.90 रुपये (केवल उन्नीस रुपये नब्बे पेसे) प्रति के० वी० ए०	60%	40%
	(5) 1600 के० वी० ए० से अधिक तथा 3150 के० वी० ए० तक जिसमें 3150 के० वी० ए० भी शामिल है।	16.85 रुपये (केवल सोलह रुपये पचासी पैसे) प्रति के० वी० ए०	60%	40%
	(6) 3150 के० वी० ए० से अधिक और 5000 के० वी० ए० तक जिसमें 5000 के० वी० ए० भी शामिल है।	14.00 रुपये (केवल चौदह रुपये) प्रति के० वी० ए०	60%	40%
	(7) 5000 के० वी० ए० से अधिक तथा 8000 के० वी० ए० तक जिस० 8000 के० वी० ए० भी शामिल है।	12.75 रूपये (केवल बारह रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति के० वी० ए०	60%	40%
	(8) 8000 के० वी० ए० से अधिक	12.00 रुपये (केवल बारह रुपये)	60%	40%
(ग)	66 के० वी० और उससे अधिक परन्तु 132 के० वी० से कम			
	(1) 12,500 के० वी० ए० तक जिसमें 12500 के० वी० ए० भी शामिल है।	12.35 रुपय (केवल बारह रुपये पैंतीस पैसे) प्रति के० वी० ए०	60%	40%
	(2) 12,500 के० वी० ए० से अधिक	10.00 रुपये (केवल दस रुपय प्रति के० वी० ए०	60%	40%
(घ)	132 के० वी० तथा उससे अधिक			
	(1) 16,000 के० वी० ए० तक जिसमें 16000 के० वी० ए० भी शामिल है।	12.60 रुपये (केवल बारह रुपय साठ पैसे) प्रति के० वी० ए०	60%	40%
	(2) 16000 के० वी० ए० से अधिक	10.10 रुपये (केवल दस रुपये दस पैसे) प्रति के० वी० ए०	60%	40%

टिप्पणी:—(1) प्रयुक्त किये गये ट्रांसफार्मर आयल के सम्बन्ध में प्रतिअदायगी, उपर्युक्त प्रतिअदायगी दरो मे शामिल नही है। ट्रांसफार्मर में भरकर निर्यात किये गये अथवा ट्रांसफार्मर सहित साधनो मे निर्यात किये गये ट्रासफार्मर आयल पर 2 00 रू० (केवल दो रूपये) प्रति लिटर के हिसाब मे अतिरिक्त प्रतिआदायगी देय होगी परन्तु यह तब जबकि ऐसा ट्रासफार्मर आयल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा सीमाशुल्क विनियमो के अन्तर्गत बन्ध-पत्र के अधीन निर्यात नही किया गया हो।

(2) "आन लोड टेप चैन्जर" युक्त ट्रासफार्मरों के सम्बन्ध में अलग-अलग मामलो में निर्धारित की गई प्रतिअदायगी की अतिरिक्त ब्रांड दर देय होगी।

(3) दोहरे बोल्टेज रेटिंग ट्रासफार्मर की स्थिति में उपयुक्त दर निर्धारित करने के लिये दो वोल्टेजो में जो उच्चतम हो उसे अपनाया जाना चाहिये।

यह सार्वजनिक सूचना 1 फरवरी, 1984 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

जेड० बी० नागरकर उपसचिव

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1984

स० 14(15)/82-ई० पी० जैड—भारत सरकार ने कोचीन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथारिटी (सी० ई० पी० जैड ए०) के नाम से एक स्तरीय अथारिटी गठित करने का निर्णय लिया है। सी० ई० पी० जैड ए० कोचीन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के द्रुत सृजन, वृद्धि तथा विकास के लिए नीति सबधी सभी प्रमुख मुद्दो सबधित कार्य देखेगी।

2 गठन

कोचीन ई० पी० जैड० अथारिटी का गठन निम्नलिखित रूप से होगा :—

1	सचिव, वाणिज्य मत्रालय	अध्यक्ष
2	मुख्य सचिव, केरल सरकार	सदस्य
3	सचिव (आर्थिक कार्य विभाग), वित्त मत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।	,,
4	सचिव (व्यय विभाग) वित्त मत्रालय, भारत सरकार।	,,
5	सचिव, औद्योगिक विकास विभाग उद्योग मत्रालय, भारत सरकार	,,
6	सचिव, जहाजरानी तथा परिवहन मत्रालय, भारत सरकार।	,,
7	सचिव, नागर विमानन विभाग, भारत सरकार।	,,
8	सचिव, इलैक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार।	,,
9	सदस्य (परिवहन) रेलवे बोर्ड।	,,
10	चेयरमैन, पी० एण्ड टी० बोर्ड,	,,
11	ई० पी० जैड० के प्रभारी, अपर सचिव, वाणिज्य मत्रालय।	,,
12	अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य
13	मुख्य नियन्त्रक, आयात व निर्यात, वाणिज्य मंत्रालय।	,,
14	चेयरमैन (सी० बी० ई० सी०),	,,
15	चेयरमैन, आई० डी० बी० आई	,,
16	डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक (ई० सी० डी०),	,,
17	वाणिज्य मंत्रालय मे ई० पी० जैड० के प्रभारी अधिकारी।	,,
18	विकास आयुक्त, ई पी० जोन, कोचीन।	सदस्य-सचिव

3 अथारिटी के अध्यक्ष को किसी अन्य विभाग/अभिकरण के किसी भी प्रतिनिधि को, जिसका सहयोग जइसके कार्य सचालन के लिक अनिवार्य समझा जाए, तदर्थ आधार पर सहयोजित करने और जब वह जैसे अपेक्षित हो उप-समितिया नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

स० 14(15)/82-ई० पी० जैड०—भारत सरकार ने कोचीन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से उद्योगो की स्थापना के लिए सभी आवेदन पत्रो पर निर्णय लेने और उक्त जोन से सबधित सभी अन्य मुद्दो पर निर्णय लेने के लिए कोचीन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बोर्ड के नाम से एक अन्य मत्रालय निकाय गठित करने का निर्णय लिया है बोर्ड का गठन निम्नलिखित रूप से होगा :—

1	मुक्त व्यापार जोन के प्रभारी अपर सचिव, वाणिज्य मत्रालय, नई दिल्ली।	अध्यक्ष
2	सदस्य (सीमा शुल्क) सी० बी० ई० सी०, वित्त मत्रालय, नई दल्ली।	सदस्य
3	सयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मत्रालय, नई दिल्ली।	,,

4. संयुक्त सचिव (एस० आई० ए), औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली। — सदस्य
5. सचिव, राज्य सरकार का निर्यात संवर्धन अथवा जराज्य सरकार के प्रतिनिधि। — "
6. औद्योगिक सलाहकार, तकनीकी विकास का महानिदेशालय। — "
7. निदेशक (वित्त), वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली। — "
8. निर्यात आयुक्त, मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय, नई दिल्ली। — "
9. आई० डी० बी० आई० के प्रतिनिधि — "
10. वाणिज्य मंत्रालय सें ई० पी० जैड० के प्रभारी अधिकारी, नई दिल्ली। — "
11. विकास आयुक्त, कोचीन एक्सपोर्ट, प्रोसेसिंग जोन। — सदस्य-सचिव

3. बोर्ड के अध्यक्ष को किसी अन्य विभाग अभिकरण के किसी भी प्रतिनिधि को, जिसका बोर्ड के साथ सहयोग अनिवार्य समझा जाए, सहयोजित करने और जब व जैसे अपेक्षित हो, उप समितियां नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

आर० सी० दूबे, उप सचिव

शिक्षा और सांस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी 1984

विषय :—तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड का पुनगर्ठन।

सं० एफ० 15-19/83-डी०-III (भाषा)—इस मंत्रालय के संकलप संख्या एफ 15-19/83-डी-III (भाषा) दिनाक 1 दिसम्बर, 1983 के क्रम में 30 नवम्बर 1985 को समाप्त होने वाली दो वर्षों की अवधि के लिए तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड के निम्नलिखित सरकारी और गैर सरकारी सदस्य होंगे :—

1. श्रीमति शील कौल, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय सें राज्य मंत्री (पदेन) — अध्यक्ष
2. कंवर मोहिंदर सिह बेदी — उपाध्यक्ष
3. श्री हयातुल्लाह अन्सारी, संसद सदस्य, राज्य सभा — सदस्य
4. श्री के० ए० फारूखी — –वही–
5. कुमारी तुलेन हैदर — –वही–
6. श्री शांति राजन भट्टाचार्य — –वही–
7. श्री एस० हमीद — –वही–
8. श्री आबिद अली खान — –वही–
9. श्री महेश्वर दयाल — –वही–
10. डा० अरशाद हुसैन — –वही–
11. प्रो० ए० एम० खुसरो — –वही–
12. अध्यक्ष वि० अ० आ० का एक नामित व्यक्ति (पदेन) — सदस्य
13. निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद (पदेन) — –वही–
14. अध्यक्ष, तकनीघी तथा वैज्ञानिक शब्दावली आयोग (पदेन) — –वही–
15. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (पदेन) — –वही–
16. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (आगरा) (पदेन) — –वही–
17. निदेशक, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली (पदेन) — –वही–
18. निदेशक, केन्द्रीय भारतीय भाषा संथान, मैसूर (पदेन) — –वही–
19. निदेशक, केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद (पदेन) — –वही–
20. महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (पदेन) — –वही–
21. वित्त सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय (पदेन) — –वही–
22. बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि — –वही–
23. मध्य प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधि — –वही–
24. शिक्षा सचिव, भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय — –वही–
25. विशेष सचिव, (उच्च शिक्षा) भारत सरकार शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय — –वही–
26. निदेशक, पुस्तक प्रोन्नति एकक, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय। — –वही–

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रतियां तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड के सभी सदस्यों, अध्यक्ष, तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली आयोग, अध्यक्ष, विवविद्यालय अनुदान आयोग, महानिदेशक, केन्द्रीष भारतीय भाषा संस्थान, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, सभी कुलपतियों, प्रधानमंत्री के कार्यालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह अधिसूचना भारत के राजपत्र से सूचनार्थ प्रकाशित की जाए।

आर० के० शर्मा, संयुक्त शिक्षा सलाहकार, भारत सरकार

समाज कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 1984

संकल्प

सं० 1-26/83-सी० एस० डब्ल्यू० बी०—इस मंत्रालय के दिनांक 9 जनवरी, 1984 के संकल्प संख्या 1-26/83-सी० एस० डब्ल्यू० बी० के अनुक्रम में भारत सरकार केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के आम निकाय में निम्नलिखित सदस्यों को तत्काल नामित करती है :—

राज्य का नाम	प्रतिनिधि का नाम
1. हिमाचल प्रदेश . .	श्रीमति देवेन्द्र कुमारी
2. महाराष्ट्र . . .	श्रीमति उषा भौमिक

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाए :—

1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सभी सदस्य।
2. सभी राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश ।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
4. राष्ट्रपति सचिवालय ।
5. प्रधान मन्त्री कार्यालय।
6. योजना आयोग।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय ।
8. मंत्रिमण्डल सचिवालय ।
9. पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली।
10. लेखा परीक्षा निदेशक, केंद्रीय राजस्व, नई दिल्ली।
11. कम्पनी कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
12. कम्पनियों के रजिस्ट्रार, कंचनजंग बिल्डिंग, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली ।
13. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी विधि बोर्ड, कानपुर ।
14. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
15. सभी अध्यक्ष, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड।
16. राज्यपाल, सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को साधारण जानकारी के लिए भारत के राजपत्र से प्रकाशित किया जाए।

वेद मारवा, संयुक्त सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 1984

संकल्प

सं० 601/35/82/टी० (बी०)—दूरदर्शन के लिए कार्य-योजना तैयार करने के लिए एक कार्य दल की नियुक्ति के बारे में 6 दिसम्बर 1982, 14 मार्च 1983, 8 अगस्त 1983 और 30 सितम्बर, 1983 के समसंख्यक संकल्प के क्रम से, कार्य दल द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की अवधि बढ़ाकर 31 जनवरी, 1984 तक करने का निर्णय लिया गया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति कार्यदल के अध्यक्ष सदस्यों, प्रधान मन्त्री के कार्यालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

शिव राज सिंह, संयुक्त सचिव

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

श्रम विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 1984

सं० क्यू०—16012/4/83-डब्ल्यू० ई०—श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क्यू० 16012/4/83-डब्ल्यू० ई० तारीख 17 जनवरी, 1983 का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार, सार्वजनिक उद्यमसतत् शिक्षा केंद्र, नई दिल्ली के निदेशक, श्री आर० एन० श्रीवास्तव और राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान, पुणे के निदेशक, श्री बी० के० सिन्हा को केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक, श्री टी० एन० श्रीवास्तव और बेकुंट मेहता सहकारी प्रबन्ध संस्थान, पूणे के प्रभारी निदेशक प्रो० ए० बी० राव के स्थान पर अधिसूचना जारी होने की तारीख से केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के सहयोजित सदस्यों के रूप में नामित करती है ।

चित्रा चोपड़ा, निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 8th February 1984

No. 12-Pres./84.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Names and rank of the officers

1. Shri Vijay Raman, Superintendent of Police, Bhind (Madhya Pradesh).
2. Shri Mohammad Quashim, Constable No. 766, 26th Bn., 'C' Coy. SAF, Guna.
3. Shri Baburam, Constable No. 686, 26th Bn., 'C' Coy. SAF, Guna.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 1st October, 1981, at about 1400 hours on receiving an information about the presence of notorious dacoit Pan Singh and his gang of fourteen strongmen, Shri Vijay Raman, Supdt. of Police, Bhind, with his immediate lieutenant chalked out a plan and surrounded the village Rathiyan-ka pura. He completed the task of surrounding the village with the help of the available DEF and SAF men. Constable Mohammad Quashim was a member of the police party headed by Shri B. L. Handa, Addl. S. P., Bhind, who were entrusted to surround the village from the northern and north-western side. The party swiftly moved into the village. The two Constable Mohammad Quashim and Baburam took up position on the roof-tops to checkmate designs of the gang. As the police party were advancing into the village, they chanced to catch hold a villager who confirmed the presence of the gang at a short distance away from the spot where the police party was then present. While the police party was contemplating further action, sudden volley of fire ensued from the village. Police parties also opened fire to repel the sudden attack of the dacoits.

On hearing the gun shots the Addl. S. P., Bhind, who was incharge of the northern and north-western sector alerted his men. Shri Raman and his party were caught between the cross-fire. The dacoits were trying to break the police cordon, Shri Raman and his men bravely struck to their tasks in the face of miminent danger and succeeded in sealing of the only way out of the village for the dacoits.

At about 0300 hours on the 2nd October, 1981, Constable Mohammad Quashim detected some suspicious movement fairly close to the position he had taken up in the cordon. He braced himself and challenged the lurking figures to identify themselves. This was followed by the firing of light pistols. In the illumination 4 to 5 persons were sighted who were moving towards the police cordon, with a view to escape through it. At this moment, Shri Quashim chose to change his position in order to have a better view of the target and to make his fire power effective. His movements were noticed by the dacoits. More shots followed in quick succession.

One of the shots hit Shri Quashim slightly above his waist. Though there was profuse bleeding from his wound Shri Quashim undeterred continued to fire at the gang. He was so over-whelmingly committed to his duty that he refused evacuation for medical aid and had to be forced for the same.

Constable Baburam was one of the valiant members of the police party that took part in this encounter. He was posted on the northern cordon around the village. Bullets were whizzing past Constable Baburam. Notwithstanding the imminent danger to his life he stuck to his guns till the bitter end. Bullets were being fired in his direction with a rapidity that was terrifying. One such bullet whizzed over his head taking his headgear alongwith it. This caused scraping injury on his scalp. He gallantly and courageously kept on firing at the dacoits. In the fierce night-long encounter 10 notorious armed dacoits were shot dead. These included the two gang leaders Pan Singh and Gopi.

In this encounter, Shri Vijay Raman, Superintendent of Police, Shri Mohammad Quashim, Constable and Shri Babu ram, Constable exhibited conspicious gallantry, courage and devotion to duty of a very high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd October, 1981.

No. 13-Pres/84.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Names and rank of the officers

Shri Brij Lal Handa, Addl. Supdt. of Police, Bhind.

Shri Y. S. Ghuraiya, Dy. S.P., Bhind.

Shri M. P. Singh Chauhan, Circle Inspector, Gohad, Bhind.

Shri Jaman Singh, Head Constable No. 42, SAF, Gwalior.

Shri J. S. Kushwaha, Constable No. 295, Bhind.

Shri Ashrafilal, Constable No. 461, SAF, Guna.

Shri Tribhuwan Singh, Constable No. 756, SAF, Bhind.

Statement of services for which the decoration has been awarded

An encounter with the gang of Pan Singh took place on the 1st/2nd October, 1981 at village Rathiyan-ka-pura.

Shri Brij Lal Handa, Addl. Supdt. of Police was in charge of the force deployed to cordon off the north and north-western areas of the village. The position of the cordon was most important as this was blocking the most probable and likely escape-route of the dacoits. A small police party had entered the village and an exchange of fire had already commenced between the police party and the dacoits. Knowing that the firing by his party could endanger the lives of the police party inside the village, and at the same time any constraints could adversely affect the effectiveness of the fire power of his party, he redeployed his men. On 2-10-81 at 0300 hours persons posted in this cordon saw some movement and suspected that some lurking figures were crawling towards the police party. Firing of light pistol confirmed their suspicion. Shri Handa rose to the demands of the occasion and engineered a counter-attack in a bold and determined manner. He displayed stern leadership and courage in this encounter.

After deploying his men around the village Rathiyan-ka-pura as per the scheme of action, Shri Yashwant Singh Ghuraiya, Dy. Supdt. of Police, came to the place where his S.P. had taken up position, for further consultation as to the course of action to be adopted. It was decided to search the village to ascertain the presence of the dacoits. A group of 13 men readily volunteered for this dangerous job which included S.P. Bhind and Shri Ghuraiya. The officers and men swiftly covered the distance and entered the village. Two constables were deployed on the roof-tops of the cemented buildings to achieve a commanding tactical advantage. Shri Ghuraiya confirmed that the gang was in the village. The police party slowly crept into the village. They caught hold of a person who informed that there were 14 dacoits in the village including the gang leader Pan Singh and also informed that the gang was very close to the Police party where they were positioned. Shri Ghuraiya adequately and competently measured upto the challange. The dacoits suddenly opened fire at the police party. Heavy firing occurred between the police and the dacoits. Shri Ghuraiya in race of gave danger remained glued to his post like a rock and arranged befitting reply to the offensive of dacoits. He not only maintained the night-long vigil but had a bullet to bullet reply for dacoits. The two constables posted on the roof-tops checked the designs of the gang and they stood like an unsurmountable wall between the dacoits and their route of escape. Shri Ghuraiya further displayed gallant action when in a daylight a house to house search was arranged by his Dy. I.G. of police in an effort to flush out the fighting dacoits.

Shri Mahendra Pratap Singh Chauhan, Circle Inspector, Shri Jaman Singh, Head Constable, Shri Jagatpal Singh Kushwaha, Shri Ashrafilal and Shri Tribhuwan Singh, Constables showed determination in keeping the dacoits at bay and by their constant vigil and action were able to liquidate ten members of the gang in the night-long encounter with the dacoits.

In this encounter Shri Brij Lal Handa, Addl. Supdt. of Police, Shri Yeshwant Singh Ghuraiya, Dy. Supdt. of Police, Shri Mahendra Pratap Singh Chauhan, Circle Inspector, Shri Jaman Singh, Head Constable, Shri Jagatpal Singh Kushwaha, Shri Ashrafilal and Shri Tribhuwan Singh, Constables exhibited conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a very high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd October, 1981.

No. 14-Pres./84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantary to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force.

Name and rank of the officer

Shri Khushali Ram,
Sub-Inspector, 63 Bn. CRPF.
Shri B. D. Yadav,
Constable, 63 Bn CRPF.

Statement of Service for which the decoration has been awarded

On the 7th April 1983 Sub-Inspector Khushali Ram with his platoon had hardly returned from patrolling duties at about 1630 hours when information about firing and attack on Karamchhera market reached the post through a civil truck driver. Immediately Shri Khushali Ram with his platoon on the order of Coy. Commander Malagar Singh (Dy. S.P.) rushed to the scene of incident. Shri Malagar Singh, Dy. S.P. after collecting information about the extremists divided men in two groups and led one group himself and the other by Sub-Inspector Khushali Ram. Constable B. D. Yadav was in the party led by Sub-Inspector Khushali Ram. Both the parties started combing the suspected escape route.

The party led by Sub-Inspector Khushali Ram noticed four youths coming from Karamchhera side. They were having bags hanging from their shoulders. The party got suspicious and questioned one of the youths who told that they workers of GREF. Sub-Inspector Khushali Ram was not satisfied by the reply and decided to search the bag hanging from the shoulder of the youth. The youth immediately put his right hand inside the bag. Sub-Inspector Khushali Ram sensing immediate danger caught the right hand of the youth before he could bring out the revolver from the bag. The youth resisted but Sub-Inspector Khushali Ram did not slacken his grip. The youth was identified as Chuni Kolai, SubInspector K. Khushali Ram over-powered Chuni Kolai at a grave risk to his own life.

On further search Constable B. D. Yadav detected a prime hand grenade from the bag of Konak Tarak Kolai and snatched it from the extremist youth. He thus took a great risk in disarmnig and capturing the renowed T.N.V. extremist leader Konak Tarak Kolai.

Sub-Inspector Khushali Ram and Constable B. D. Yadav displayed conspicuous gallantry and exemplary courage in over-powering and apprehending the extremists.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the awards of the police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 7th April 1983.

No. 15-Pres/84.—The President is pleased to award the police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police.

Name and rank of the officer

Shri Ram Prasad Upadhyay,
Sub-Inspector of police,
CID, Bihar, Patna.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the night of 10th/11th July, 1980, Shri Ram Prasad Upadhyay alongwith Shri M. C. Khurshid was coming to CID Headquarters Patna, by a bus. When the bus reached Kazimohallah of Bihar Shariff at about 0300 hrs., a gang of armed bandits numbering about 8-10 stopped the bus by blocking the road, hijacked the bus to a kutcha road and started looting the passengers. Shri Upadyay was in plain clothes and was concealing his service revolver behind his garments. Shri Upadhyay, seeing the lives of the passengers in danger, made up his mind to take the dacoits outside the bus on the pretext of handing over the amount he had with him. One of the dacoits came out. Another associate of the dacoits who was waiting outside the bus gave a hard blow on the right leg below the knee of Shri Upadhyay, Shri Upadhyay immediately fired a shot from his revolver. One of the dacoits was hit, who died on the spot. The dacoits also fired shots and blasted bombs with the result that the Khalasi standing the bus received injuries and subsequently died in the hospital. Shri Upadhyay fired 5 shots in all which force the dacoits to retreat. The police were able to seize one country made revolver and some of the looted property.

In this encounter with the notorious gang of dacoits, Sub-Inspector Ram Prasad Upadhyay exhibited conspicuous gallantry and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 11th July, 1980.

No. 16-Pres/84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Names and rank of the officers

Shri Chandra Badan Mall,
Sub-Inspector of Police,
PS Maniar, District Ballia,
Uttar Pradesh.

Shri Mangla Prasad Kushwaha,
Head Constable,
23, A. P. District Ballia,
Uttar Pradesh.

Shri Ravi Shanker Misra,
Constable, 494 Civil Police,
Dstrict Ballia,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the night of 27th/28th December, 1981, Shri Chandra Badan Mall, Sub-Inspector of Police, Maniar, District Ballia, received information about the gang of Baliram Pandey alongwith notorious dacoit Uttil who had a plan to move to village Vishnupura in Bihar where he was invited by Shri Phulena Duba to commit a dacoity in the house of Sarpanch of village Dhaurahra. Shri Mall collected the available police force and reached the place but the dacoits had moved towards Bihar. The entire police force including Shri Mangla Prasad Kushvaha, Head Constable and Shri Ravi Shanker Misra, Constable, reached village Vishnupura. Having learnt the the dacoits had assembled in a Marna of Phulena Dube, Shri Mall chalked out a plan and divided the police force into two parties. The first party led by him took the position behind the pucca house of Shri Dube and second party led by Shri Mangla Prasad Kushwaha, Head Constable, took the position behind a heap of straw opposite side of Marha open passage. On being challenged by Shri Mall, the dacoits opened fire on the police party and ran towards the opposite side of the Marha. Shri Kushwaha witth his party and Shri Mall chased the fleeing dacoits who ran firing intermittently at the police.

Shri Kushwaha and Shri Ravi Shanker Misra, Constable, received grievous bullet injuries and fell down. Even then they continued to fire at the dacoits. Shri Mall fearlessly kept up a chase all the time firing from his service revolver, During heavy exchange of fire one of the dacoits was injured but the fleeing dacoits took him away. Leaving the injured Head Constable and Constable who could not move further, Shri Mall again chased the dacoits and succeeded in shooting down one of the fleeing dacoits who fell down at the spot and died. The other dacoits managed to escape and could not be traced. The injured Head Constable Mangla Prasad Kushwaha and Constable Shri Shanker Misra were shifted to Medical College, Gorakhpur for treatment. The right leg of Shri Kushwaha had to be amputated. The dead body of the killed dacoit was later on indentified as Uttil Goud, a notorious dacoit of Baliram gang.

In this encounter Sub-Inspector Chandra Badan Mall, Head Constable Mangla Prasad Kushwaha and Constable Ravi Shanker Misra exhibited conspicuous gallantry, courage, initiative and devotion to duty at grave personal risk.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5 with effect from the 28th December, 1981.

No. 17-Pres/84.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :

Name and rank of the officer

Kumari Asha Gopal,
Supdt. of Police,
Distt. Shivpuri,
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the evening of 7th January, 1982, Kumari Asha Gopal, S. P., Shivpuri, received information about the presence of notorious Inter-State gang of dacoits led by Devi Singh in a sugar-cane field, near village Rajpur, P. S. Jigna. She left for the spot with a force of 110 officers and men drawn from DEF, SAF and a contingent of BSF. On reaching the sopt, she, with a handful of officers, contacted the informer, planned the operations and positioned herself at the likely escape-routes of the dacoits. Shortly before day-break some movement was noticed in the sugar-cane field, confirming the presence of the dacoits. She got an old women and her daughter out from the hut at the edge of the sugar-cane field before challenging the dacoits to surrender. Thereafter, two dacoits Devi Singh and Atar Singh were seen running out of the field and firing fiercely on the police party in an attempt to break through the police cordon. Kumari Asha Gopal returned the fire and without caring for her personal safety chased the dacoits with a small police party. Two dacoits were killed in the exchange of fire.

The remaining dacoits in the field kept on firing at the police intermittently. In the exchange of fire 3 more dacoits were shot dead. During this period one of them shot down the kidnapped person who was trying to escape from their clutches. At last realising that they had been surrounded on all sides and had little chance of survival, two of them namely Jagbhan and Rahish rushed out of the field, firing from their guns to force the police personnel to take cover. They were fired upon in self defence by the Police presonnel leading to their elimination on the spot. Dacoit Chhinga, who was still in the field and was firing, was asked to surrender. At about

SS No.	Description of goods	Rate of drawback	Allocation	
			Cus.	C. E.
	(B) 33 KV and above, but below 66 KV.			
	(i) Upto and including 315 KVA.	Rs. 31·05 (Rupees thirtyone & paise five only) per KVA.	60%	40%
	(ii) Above 315 KVA and upto and including 630 KVA.	Rs. 25·65 (Rupees twentyfive & paise sixty five only) per KVA.	60%	40%
	(iii) Above 630 KVA and upto and including 1000 KVA.	Rs. 22·25 (Rupees twentv two & paise twentyfive only) per KVA.	60%	40%
	(iv) Above 1000 KVA and upto and including 1600 KVA.	Rs. 19·90 (Rupees Ninteen & paise ninety only) per KVA.	60%	40%
	(v) Above 1600 KVA and upto and including 3150 KVA.	Rs. 16·85 (Rupees sixteen & paise eighty five only) per KVA.	60%	40%
	(vi) Above 3150 KVA and upto and including 5000 KVA.	Rs. 14·00 (Rupees fourteen only) per KVA.	60%	40%
	(vii) Above 5000 KVA and upto and including 8000 KVA.	Rs. 12·75 (Rupees twelve & paise paise seventy only) per KVA.	60%	40%
	(viii) Above 8000 KVA.	Rs. 12·00 (Rupees twelve only) per KVA.	60%	40%
	(C) 66 KV and above but below 132 KV			
	(i) Upto and including 12,500 KVA.	Rs. 12·35 (Rupees twelve & paise thirty five only) per KVA.	60%	40%
	(ii) Above 12,500) KVA.	Rs. 10·00 (Rupees Ten only) per KVA.	60%	40%
	(D) 132 KV and above			
	(i) Upto and including 16,000 KVA.	Rs. 12·60 (Rupees twelve & paise sixty only) per KVA.	60%	40%
	(ii) Above 16,000 KVA	Rs. 10.10 (Rupees ten paise & ten only) per KVA.		

Note:— (1) The aobve rates of drawback are exclusive of drawback in respect of transformer oil used. An additional drawback of Rs, 2.00 (Rupees two only) per litre is payable on transformers oil exported either filled in transformers or exported in containers along with transformers, provided such transformers oil is not so exported in bond either under the Central Exercise or Customs regulations.

(2) In respect of transformers fitted with 'On load tap changer' additional brand rate of drawtback determined in individual cases shall be payable.

(3) In case of dual voltage rating transformer the higher of the two voltages should be adopted for determining appropriate rate.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st February 1984.

Z. B. NAGARKAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 30th January 1984

No. 14(15)/82-EPZ.—The Government of India have decided to constitute a high level authority to be called Cochin Export Processing Zone Authority (CEPZA). The CEPZA will deal with all major policy issues for speedy creation, growth and development of Cochin Export Processing Zone.

2. *COMPOSITION*

The composition of the Cochin EPZ Authority will be as under :—

Chairman

1. Secretary
   Ministry of Commerce.

Members

2. Joint Secretary,
   Government of Kerala.

Members

3. Secretary, Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India.
4. Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India.
5. Secretary, Department of Industrial Development, Ministry of Industry, Government of India.
6. Secretary, Ministry of Shipping & Transport, Government of India.
7. Secretary, Department of Civil Aviation. Government of India.
8. Secretary, Department of Electronics, Government of India.
9. Member (Transportation), Railway Board.
10. Chairman, P&T Board.
11. Additional Secretary in-charge of EPZ, Department of Commerce.
12. Additional Secretary & Financial-Adviser, Ministry of Commerce.
13. Chief Controller of Imports & Exports, Ministry of Commerce.
14. Chairman, CBEC.
15. Chairman, IDBI.
16. Deputy Governor, Reserve Bank of India, ECD.
17. Officer-in-charge of EPZ in Ministry of Commerce.

Member Secretary

18. Development Commissioner, Cochin Export Processing Zone.

3. The Chairman of the Authority is authorized to co-opt on ad-hoc basis any representative of any other Department/ agency whose association is considered essential to its working and to appoint Sub Committees as and when required.

No. 14(15)/82-EPZ.—The Government of India have decided to constitute an inter-Ministerial body to be called Cochin Export Processing Zone Board to take decisions on all applications for setting up industries in the Cochin Export Processing Zone and take decision on all other issues pertaining to the said Zone. The composition of the Board will be as under :—

Chairman

1. Additional Secretary, In-charge of Free Trade Zones, Ministry of Commerce, New Delhi.

Members

2. Member (Customs), CBEC, Ministry of Finance, New Delhi.
3. Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi.
4. Joint Secretary (SIA), Department of Industrial Development, Ministry of Industry, New Delhi.
5. Secretary, Export Promotion of the State Government or representative of State Government.
6. Industrial Adviser, DGTD.
7. Director (Finance) Ministry of Commerce, New Delhi.
8. Export Commissioner, O/o CCI&E, New Delhi.
9. Representative of IDBI.
10. Officer-in-charge of EPZ in Ministry of Commerce, New Delhi.

Member Secretary

11. Development Commissioner, Cochin Export Processing Zone.

2. The Chairman of the Board is authorised to co-opt any representative of any other Department/Agency whose association with the Board is considered essential and to appoint Sub-Committees as and when required.

R. C. DUBEY, Dy. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 24th January 1984

Subject :—Reconstitution of Taraqqi-E-Urdu Board.

No. F. 15-19/83-D.III(L).—In continuation of this Ministry's Resolution No. F 15-19/83-D.III(L) dated the 1st December, 83 the following will be the official and non-official members of the Taraqqi-E-Urdu Board for a period of two years ending Nov. 30, 1985 :

Chairman

1. Smt. Sheila Kaul, Minister of State in the Ministry of Education and Culture (Ex-officio).

Vice-Chaiman

2. Kanwar Mohinder Singh Bedi

Members

3. Shri Hayatullah Ansari, MP
4. Shri K. A. Faruqi
5. Miss Quarratulain Hyder
6. Shri Shanti Rajan Bhattacharya
7. Shri S. Hamid
8. Shri Abid Ali Khan
9. Shri Maheshwar Dayal
10. Dr. Arshad Hussain
11. Prof. A. M. Khusro
12. A nominee of the Chairman, UGC (ex-officio)
13. Director, NCERT (Ex-officio)
14. Chairman CSTT, (ex-officio)
14. Director, CHD (ex-officio)
16. Director, KHS (Agra) (ex-officio)
17. Director, RSKS, Delhi (ex-officio)
18. Director, CIIL, Mysore, (ex-officio)
19. Director, CIEFL, Hyderabad (ex-officio)
20. Director General, CSIR (ex-officio)
21. Financial Adviser, Ministry of Education (ex-officio)
22. A representative of Govt. of Bihar (ex-officio)
23. A representative of the Govt. of M.P. (ex-officio)
24. Education Secretary to the Government of India, Ministry of Education & Culture (ex-officio)
25. Special Secretary (Higher Education) to the Govt. of India, Ministry of Education & Culture (ex-officio)
26. Director, BPU, Ministry of Education & Culture (ex-officio)

ORDER

ORDERED that copies of the Notification be communicated to all members of the Taraqqi-E-Urdu Board, Chairman, Council for Scientific and Technical Terminology, Chairman,

University Grants Commission, Director General, Central Institute of Indian Languages, Central Hindi Directorate, Kendriya Hindi Sansthan, Rashtriya Sanskrit Sansthan, Central Institute of English and Foreign Languages, National Council of Educational Research and Training, All Vice-Chancellors, Prime Minister's Office, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat and Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Notification be published in the Gazette of India for information.

R. K. SHARMA,
Joint Education Adviser

MINISTRY OF SOCIAL WELFARE

New Delhi-110001, the 3rd February 1984

RESOLUTION

F. No. 1-26/83/CSWB.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 1-26/83-CSWB, dated 9th January, 1984, the Government of India is pleased to nominate the following members on the General Body of the Central Social Welfare Board, with immediate effect :—

Name of the States & Names of the Representatives

1. Himachal Pradesh, Smt. Devendra Kumari.
2. Maharashtra, Smt. Usha Bhawmik.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :—

1. All members of the Central Social Welfare Board.
2. All the State Governments/Union Territories.
3. All the Ministries/Department of the Government of India.
4. President's Secretariat.
5. Prime Minister's Office.
6. Planning Commission.
7. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariats.
8. Cabinet Secretariat.
9. Press Information Bureau, New Delhi.
10. The Director of Audit, Central Revenues, New Delhi.
11. Department of Company Affairs, Shastri Bhavan, New Delhi.
12. Registrar of Companies, Barakhamba Road, New Delhi.
13. The Regional Director, Company Law Board, Kanpur.
14. The Executive Director, Central Social Welfare Board, New Delhi.
15. All Chairman, State Social Welfare Advisory Boards.
16. Governors of All States/Lt. Governors of Union Territories.

ORDERED also that the Notification be published in the Gazette of India for information.

V. P. MARWAH, Jt. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 21st January 1984

RESOLUTION

No. 601/35/82-TV.—In continuation of the Resolutions of even number dated the 6th December, 1982, 14th March, 1983, 8th August, 1983 and 30th September, 1983 appointing a Working Group to prepare software plan for Doordarshan, it has been decided to extend the time limit of submission of its report by the Working Group till 31st January, 1984.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman/Members of the Working Group, Prime Minister's Office, All Ministries and Departments of the Government of India and all State Governments and Union Territories.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

S. R. SINGH, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(DEPARTMENT OF LABOUR)

New Delhi, the 3rd February 1984

No. Q-16012/4/83-WE.—In supersession of the Ministry of Labour and Rehabilitation Notification No. Q-16012/4/83-We dated 17th January 1984, the Government of India hereby nominate Shri R. N. Srivastava, Director, Public Enterprises Centre for Continuing Education, New Delhi and Shri B. K. Sinha, Director, National Institute of Cooperative Management, Pune, as coopted members of the Central Board for Workers Education in place of Shri T. N. Srivastava, Executive Director, Central Social Welfare Board, New Delhi and Prof. S. B. Rao, Director-Incharge, Vaikunth Mehta Institute of Cooperative Management, Pune, from the date of issue of the Notification.

CHITRA CHOPRA, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1984